15.9.18

पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उपस्थित/पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने कारण पत्रावली दिनांक 29.10.18 को पेश हो।

29.10.18

पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उपस्थित/पीठासीन अधिकारी बाहर दौरे में पधारे हैं। अतः पत्रावली दिनांक 24.12.18 को पेश हो।

24/12/18 वकुलाम उपस्थित।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी का बंटवारा आपसी सहमति से होने से पुराने खाता नं 87 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा भूमि मृत फतेहसिंह के बंट के आई। व खाता नं 47,48 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा भूमि माधुसिंह के बंट के आई थी मृत फतेहसिंह ने रणजीतसिंह को भूमि बेच दी। बेचान पर माधुसिंह के भी हस्ताक्षर करवाये। जबकि माधुसिंह ने भूमि नहीं बेची है। T.I. जारी की है जो आज तक चल रही है। दावा के निर्णय तक T.I. कन्फर्म करावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की सहमति के तथ्यों का खण्डन करते हुए दौराने बहस कथन किया कि भूमि दोनों ने मिलकर बेची है रजिस्ट्री से बेची है प्रार्थी ने एक फोर्जरी document तैयार कर प्रस्तुत कर दिया है, बंटवारा नहीं हुआ है। कोई बंटवारा संबंधी लिखत नहीं है co-sharers के विरुद्ध stay जारी नहीं किया जा

सकता। दोनों राजस्व रिकॉर्ड में co. sharer है। जिसके अप्रार्थीगण के विरुद्ध पारित अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जावे।

अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादग्रस्त आराजी पक्षकारान दोनों की शामलाती भूमि कब्जा काश्त की है। सहखातेदार से प्रार्थी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं है प्रथम दृष्टया मामला, क्योंकि खाते एवं सुविधा का संतुलन, न्याय के नीति विरुद्ध प्रार्थीगण के पक्ष में होना प्रतीत नहीं होता है

अतः न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 12/06/2008 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T Act सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 C.P.C खारिज योग्य प्रतीत होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 24/12/2008 को खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शामिल होकर नम्बर से कम हो

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)